

~~संकल्प~~

संकल्प

12/16

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची - 834 004

संकल्प

संख्या - 03/म0स0/रा0यो0 - 169/2016- 1522

दिनांक :- 17/06/2016

विषय :- राज्य योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य में निवास करने वाले HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए "HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना" की स्वीकृति।

राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक- 24.05.2016 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य में निवास करने वाली HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए "HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना" की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है।

2. इस योजनान्तर्गत राज्य में निवास करने वाले HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति जिन्हें केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ न मिल पा रहा हो उसे वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजनान्तर्गत पेंशन देय होगा।

3. इस योजना में लाभान्वितों को आच्छादित करने के लिए B.P.L. सूची में नाम तथा वार्षिक आय की सीमा में छूट रहेगी।

4. इस योजनान्तर्गत आवेदक को HIV/AIDS पीड़ित होने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

5. इस योजनान्तर्गत HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति जो जिला एड्स नियंत्रण सोसाईटी से ART (Antiretroviral Therapy)/ARD (Antiretroviral Drugs) प्राप्त कर रहे हैं लाभ के हकदार होंगे।

6. इस योजनान्तर्गत लाभुकों के चयन एवं पेंशन की स्वीकृति हेतु संबंधित जिलों के सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को आवेदन पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदन पत्रों के जाचोंपरान्त अनुशंसा के साथ स्वीकृति हेतु संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। अनुमण्डल पदाधिकारी समीक्षोपरान्त आवेदन पत्र पर स्वीकृति प्रदान करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति के उपरान्त लाभुकों को UID के माध्यम से स्थानीय बैंक/डाकघर में खाता खुलवाकर खातों के माध्यम से उसकी पेंशन राशि रु0 600/- (छः सौ रुपये) प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाये तथा इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्तों को भेजी जाये।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

स. महिला
17/6/16
(मुख्यमंत्रि सिंह माटिया)
सरकार के प्रधान सचिव।